न्यायालय, सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा

जिला चित्तौड़गढ़

(पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी पुनाडियॉ, आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 141/2023

श्री इन्दरमल पिता छगनलाल धाकड, उम्र वयस्क निवासी बांगरेडा तहसील, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़, राज.।

................वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार,निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़।

................प्रतिवादी

उपस्थित
वादीगण अधिवक्ता :– वादी स्वयं

वाद पत्र अन्तर्गत धारा– 88
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–: घोषणा :–

निर्णय तिथि :– 29.09.2023

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा– 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वाद पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर किया जिसमें अंकित किया गया हैं कि ग्राम बांगरेडा, पटवार मण्डल, बांगरेडा की जमाबंदी संवत 2077–2080 की खाता संख्या 62 एवं 429 में वादी का नाम रामलाल पिता छगनलाल धाकड अंकित हैं जबकि उसका वास्तविक नाम इन्द्रमल पिता छगनलाल धाकड है। ग्राम बांगरेडा की खाता संख्या 60 में वादी का नाम सही नाम इन्द्रमल अंकित है। वादी के पिता की मृत्यु उपरांत विरासत के नामांतरण में वादी का बोलता नाम रामलाल अंकित कर दिया गया था, वादी तत्समय नाबालिग था। प्रार्थना पत्र के अन्त में वादी ने उसका सही नाम राजस्व रिकार्ड में दस्तावेजात अनुसार इन्द्रमल पिता छगनलाल दर्ज करने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:19:40 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा से प्रकरण में जांच रिपोर्ट तलब की गई। प्रार्थी स्वयं की बहस सुनी गई। ग्राम बांगरेडा की जमाबंदी संवत 2077–2080 की खाता संख्या 60 में वादी का नाम इन्द्रमल पिता छगनलाल दर्ज रिकार्ड है। खाता संख्या 429 में वादी के 1/90 हिस्से में नाम इन्द्रमल पिता

सहायक कलेक्टर
निम्बाहेड़ा

छगनलाल एवं 1/12 हिस्से में नाबालिग रामलाल पिता छगनलाल दर्ज रिकार्ड है। वादी द्वारा उसके दस्तावेजात की स्वयं के हस्ताक्षर से प्रमाणित फोटो प्रतियां प्रस्तुत की गई जिसमें आधार कार्ड संख्या 946843586431, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र संख्या एस.टी.क्यू./0283895, आयकर विभाग भारत सरकार द्वारा जारी पेन कार्ड संख्या एफ.एच.एस.पी.डी.8721एच., राशन कार्ड, जन आधार संख्या 5072156371, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा माध्यमिक परीक्षा 2007 में जारी प्रमाण पत्र एवं अंक तालिका, उच्च माध्यमिक परीक्षा, 2009 की अंक तालिका आदि में वादी का नाम इन्द्रमल पिता छगनलाल दर्ज है। वादी द्वारा दिनांक 27.07.2023 को 50 रू. के स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया हैं उसमें भी वादी ने अपना वास्तविक नाम इन्द्रमल पिता छगनलाल धाकड होना अंकित किया है। ग्राम पंचायत बांगरेडा मामादेव के सचिव एवं सरपंच द्वारा दिनांक 02.07.2023 को एक प्रमाण पत्र जारी किया गया हैं जिसमें अंकित किया गया हैं कि राजस्व रिकार्ड में रामलाल पिता छगनलाल के बजाय वादी का नाम आधार नम्बर 946843586431 अनुसार संशोधन कर इन्द्रमल पिता छगनलाल किया जाता हैं तो ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है। सह खातेदार वादी की माता श्रीमती कंचनबाई पत्नि छगनलाल एवं वादी के भाई श्री कमलेश पिता छगनलाल तथा मनोहरलाल पिता प्रभुलाल धाकड ने दिनांक 28.07.2023 को अलग–अलग बयान गवाह प्रस्तुत किये जिसमें वादी का वास्तविक नाम इन्द्रमल पिता छगनलाल होना अंकित किया है।

3. तहसीलदार, निम्बाहेडा ने अपने पत्रांक : राजस्व/2023/1448 दिनांक 28.08.2023 को अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें अंकित किया गया हैं कि वादी श्री इन्द्रमल पिता छगरलाल धाकड निवासी बांगरेडा का नाम ग्राम बांगरेडा की हाल जमाबंदी की खाता संख्या 62 एवं 429 में रामलाल पिता छगनलाल अंकित है, जबकि खाता संख्या 60 पर इन्द्रमल पिता छगनलाल अंकित है। ग्राम मौतबिरान एवं आराजी के पडोसियान तथा परिवार के जानकार सदस्यों के पूछताछ करने पर जाहिर आया कि उपरोक्त खातों का खातेदार एक ही व्यक्ति इन्द्रमल पिता छगनलाल धाकड है। बचपन में इन्द्रमल को ही रामलाल कहने से व अलग–अलग विरासत का इन्तकाल खुलने से दो खातों में वादी का नाम रामलाल दर्ज हुआ, जो गलत होकर इन्द्रमल दर्ज होना ही सही है।

4. मैंने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर, पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन कर तथ्यों पर मनन किया। साक्षी स्वयं की बहस पर मनन किया। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा की जांच रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली में संलग्न वादी के आधार कार्ड, पेन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशनकार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्रों तथा सह खातेदारान के बयान गवाह, वादी के स्वयं के शपथ पत्र एवं ग्राम पंचायत

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:19:40 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा–जिला चित्तौड़गढ़

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

द्वारा जारी प्रमाण पत्र और तहसीलदार, निम्बाहेडा की रिपोर्ट अनुसार वादी के वाद पत्र में अंकित तथ्य साबित होने से वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

<u>घोषणा है कि</u>

वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 पर्याप्त सबूतों के परिपेक्ष्य में स्वीकार किया जाता है ग्राम बांगरेडा, पटवार मण्डल बांगरेडा की जमाबंदी संवत 2077–2080 की खाता संख्या 62 में दर्ज आराजी नम्बर 16 रकबा 0.60 एवं आराजी नम्बर 829 रकबा 1.55 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 429 में दर्ज आराजी नम्बर 1345 रकबा 0.15 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 1346 रकबा 0.10 हैक्टेयर में वादी का नाम रामलाल पिता छगनलाल धाकड के बजाय इन्द्रमल पिता छगनलाल धाकड घोषित किया जाता है। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करावें।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 29.09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

29/9/23

(रमेश सीरवी पुनाडियॉ)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेडा

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:19:40 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या – 141 / 2023

GCMS No. – 2023 / 504

श्री इन्दरमल पिता छगनलाल धाकड, उम्र वयस्क निवासी बांगरेडा तहसील, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़, राज.।

.................वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार,निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़।

.................प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली आज दिनांक को वादी की उपस्थित एवं पेरोकार सरकार की उपस्थिति में पत्रावली अन्तिम बहस हेतु प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता है वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 पर्याप्त सबूतों के परिपेक्ष्य में कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि ग्राम बांगरेडा, पटवार मण्डल बांगरेडा की जमाबंदी संवत 2077–2080 की खाता संख्या 62 में दर्ज आराजी नम्बर 16 रकबा 0.60 एवं आराजी नम्बर 829 रकबा 1.55 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 429 में दर्ज आराजी नम्बर 1345 रकबा 0.15 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 1346 रकबा 0.10 हैक्टेयर में वादी का नाम रामलाल पिता छगनलाल धाकड के बजाय इन्द्रमल पिता छगनलाल धाकड घोषित किया जाता है। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करावें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज दिनांक 29.09.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:19:40 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ)
सहायक कलक्टर,
निम्बाहेड़ा